कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

नस्ती क्र. 117 एलए./2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक– 06/अ–82/15–16 खण्डवा, दिनांक 24.6.2016

//लोक सूचना //

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के तहत धारा–21 (1) के तहत

प्रस्तावक विभागः–उप–मुख्य इंजीनियर निर्माण पश्चिम रेल्वे इंदौर

राज्य शासन को नीचे दी गयी अनुसूची मे दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु .आवश्यकता है। एवं राज्य शासन का ईरादा उक्त भूमि का कब्जा लिये जाने का है । अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21(1)** के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है किनीचे दर्शाई गयी जमीन पर आपको किस तरह का हक्क है। सार्वजनिक कार्य के लिये हासिल की जाने वाली जमीन का मुआवजा पाने के लिये अपने हक्क के तफसील दे और जमीन के पेमाईश के बारे मे अगर आपको कोई आपत्ति हो तो पेश करे। अपनी लिखित आपत्ति स्वंय अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा के न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक .**26.7.2016** तक प्रस्तुत कर सकते है । नियत दिनांक बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

1) भूमि का वर्णनः–

(क) जिला : **खण्डवा**
(ख) तहसील : **खण्डवा**
(ग) ग्राम : **रोहनाई**
(घ) अर्जित रकबा : **0.08 हेक्टेयर**

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवष्यकता है, **खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य. हेतु।**

खसरा कमांक	अर्जित रकबा
409	0.06
408/1	0.02
कुल खसरे – 2	**कुल रकबा 0.08 हे0**

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

पृ0क्र0 955/री–2/भू.अ.प./2016, खण्डवा, दिनांक– 24.06.2016

प्रतिलिपि :–

1– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर भेजकर लेख है कि जिले की वेबसाईड पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

2– तहसीलदार तहसील खण्डवा की ओर की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानो पर एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम मे ढोडी पिटवाकर बाद तामिली के आठ दिवस मे वापस भिजवाने की व्यवस्था करे।

1– तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 2– जनपद कार्यालय नोटिस बोर्ड
3– ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड 4– ग्राम **रोहनाई** की चौपाल पर